

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 49 /2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

1. श्रीमती अनोपी पत्नी श्री रूपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. कजोड़ पुत्र श्री रूपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सुवा पुत्र श्री रूपा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रार्थीगण

बनाम

1. कंकू पुत्री श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. श्रीमती धन्नी पत्नी श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. बंशी पुत्र श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. भागु पुत्र श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. मांगू पुत्र श्री देवा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी- भैरुखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 48 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. परोकार सरकार

-अधिवक्ता प्रार्थी

-अधिवक्ता-विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक- 14.03.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने धारा 48 आर.टि.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आशयित

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

सरहद ग्राम भैरूखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टयर भूमि स्थित है। इसी प्रकार सरहद भैरूखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे ही आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण का विपक्षीगण की आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 0.0819 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टयर मे से 0.0319 हैक्टयर यानि विपक्षीगण की आराजीयात मे से कुल रकबा 0.2656 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है व साथ ही प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टयर पर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 का कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। उक्त भूमि जो कि एक ही किस्म की भूमि है तथा भूमि के विनिमय की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, उक्त भूमि विनियम कर दिये दिये जाने से राज्य सरकार एवं किसी भी आमजन को कोई नुकसान नहीं है। इस कारण से प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टयर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर व विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 0.0819 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टयर मे से 0.0319 हैक्टयर यानि विपक्षीगण की आराजीयात मे से कुल रकबा 0.2656 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज की जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण स्वयं द्वारा उपस्थित होकर मामले मे जवाब पेश किया गया, जिसे रेकार्ड पर लिया गया। प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस दस्तावेजात पेश किये गये, जिसे शामिल पत्रावली किये गये।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए भूमि को कब्जे अनुसार विनिमय करने का निवेदन किया गया। विपक्षीगण/प्रतिवादीगण द्वारा भी प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो व कब्जे को स्वीकार करते हुए भूमि एक किस्म की होने से विनिमय करने हेतु सहमति दी है।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजात से सरहद भैरूखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टयर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टयर मे से 0.0819 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टयर मे से 0.0319 हैक्टयर यानि विपक्षीगण की आराजीयात मे से कुल

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

रकबा 0.2656 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टर भूमि पर विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 05 का कब्जा है। दोनो भूमि एक ही किस्म की है, जिनके विनमय होने से किसी भी पक्षकार व आमजन व सरकार के हित पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः राजस्व ग्राम भैरूखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर व विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टर मे से 0.0819 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टर मे से 0.0319 हैक्टर यानि विपक्षीगण की आराजीयात मे से कुल रकबा 0.2656 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम भैरूखेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा मे प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 300 रकबा 0.2656 हैक्टर विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम पर व विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी नम्बर 303 रकबा 0.1518 हैक्टर सम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 302 रकबा 0.3920 हैक्टर मे से 0.0819 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 324 रकबा 0.1518 हैक्टर मे से 0.0319 हैक्टर यानि विपक्षीगण की आराजीयात मे से कुल रकबा 0.2656 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज की जावें। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

उक्त निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)